जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी–2044 दिनांकः– 3/9/15

–:कार्यवाही विवरणः–

विषय :– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 176वीं बैठक दिनांक 27.08.2015 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	176.1	–	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 175वीं बैठक दिनांक 07.08.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 175वीं बैठक दिनांक 07.08.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	176.2	10	श्री अशोक सम्पतराम के खसरा नम्बर 107, ग्राम उदयपुर गिलारिया, तहसील सांगानेर, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– चूंकि जब जोन द्वारा स्थल मानचित्र जारी किया गया (दिनांक 10.09.2013) तब भी भवन विनियम 2010 लागू थे एवं उस समय मानक एफ.ए.आर. 1.33 ही अनुज्ञेय था। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.8 के स्थान पर 1.33 अंकित करते हुए पूर्व बैठक दिनांक 12.03.2015 में संशोधन का निर्णय लिया गया। शेष निर्णय यथावत रहेंगे। साथ ही उपायुक्त जोन को संशोधित स्थल मानचित्र जिसमें मानक एफ.ए.आर. 1.33 अंकित हो जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये।
3	176.3	13	श्रीमती रेणू अग्रवाल, बहैसियत निदेशक, मैसर्स श्रीराम कृपा लैण्ड मार्क प्रा.लि. के खसरा नम्बर 7, 9 से 17, 19 से 22, 14/594, 19/595, 20/596, 35 से 43, 52/597, 56, होटल पर्यटन इकाई, ग्राम चिमनुपरा, तहसील आमेर, देहली रोड़, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् होटल के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. उक्त भूखण्ड ग्राम चिमनुपरा, तहसील आमेर, देहली रोड़, जयपुर पर स्थित है, जो कि जयपुर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधी से बाहर स्थित है। अतः प्रकरण में नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 5. मौके पर भूखण्ड के मध्य में व पीछे की ओर चौकीदार का कमरा बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। 6. भवन विनियम 2010 मय संशोधन दिनांक 06.12.2012 के

				बिन्दु संख्या 19.7.17 के अनुसार "19.7.17 राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य मार्गो पर ग्रीन बफर हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम 33 प्रतिशत क्षेत्र सड़क, पार्किंग आदि हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। ग्रीन बफर में विकासकर्ता को सघन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।" प्रार्थी द्वारा पत्र दिनांक 04.08.2015 द्वारा निवेदन किया गया है कि पर्यटन इकाई निर्माण उपरान्त प्लान्टेशन कॉरीडोर में वृक्षारोपण का कार्य करा दिया जावेगा। प्रार्थी से इस व अधिकतम समय सीमा 9 माह होगी बाबत् शपथ पत्र भी लिया जावें कि प्रस्तावित मानचित्रानुसार प्लान्टेशन बेल्ट में आवेदक द्वारा 27 प्रतिशत क्षेत्र सड़क व पार्किंग में प्रस्तावित की गई है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
4	176.4	12	एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, ग्राम बोयतावाला, बैनाड़ रोड़, जयपुर में हो रहे निर्माण के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि बीपीसी की 129वीं बैठक में जब यह प्रकरण विचारित हुआ तब इस बिन्दु पर स्पष्टतः विचार नहीं हुआ कि आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया या Defece Establishment से 100 मी. की परिधि में 12 मी. ऊँचाई एवं 100 मी. से अधिक 500 मी. परिधि पर 15 मी. ऊँचाई के ही भवन अनुज्ञेय होंगे, अपितु प्रश्नगत निर्माण एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड जो कि रक्षा विभाग की सरकारी संस्था है, के आधार पर उसे EWS/LIG, ऊँचाई एवं बीएसयूपी फण्ड की वसूली की छूट देते हुए भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया था। वाद विचार–विमर्श निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण कार्य अविलम्ब रूकवाते हुए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को भवन को सील करने के निर्देश दिये जाये। चूंकि मौके पर भवन निर्मित हो चुका है। अतः अब क्या कार्यवाही की जाये बाबत् राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।
5.	176.5	14	निजी खातेदारी योजना साउथ एक्स, ग्राम मथुरावाला एवं अजयरापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– 1. प्रार्थी द्वारा गत बैठक दिनांक 13.07.2015 में लिये गये निर्णयों में बिन्दु सं. 1, 2, 3 की पालना कर दी गई है। अतः बिन्दु सं. 4, 5 की पालना 15 दिवस में करवायी जायें। 2. उक्त बिन्दु सं. 4 व 5 की पालना के पश्चात् बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है। 3. प्रार्थी द्वारा EWS/LIG निर्माण हेतु 4 माह का समय मांगा गया है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। 4. प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावें।
6.	176.6	14ए	श्री अशोक अग्रवाल के भूखण्ड संख्या 7, हनुमान वाटिका ए–7, ग्राम सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित EWS/LIG के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– चूंकि लीजडीड के साथ जारी स्थल मानचित्र में कोई एफ.ए.आर. अंकित नहीं है इसलिए मानक एफ.ए.आर. 1.33 ही माना जावे व शेष निर्णय बैठक दिनांक 13.07.2015 के अनुसार यथावत रहेंगे।

7.	176.7	09	श्री विशाल कुमार शर्मा, निदेशक, वी.एन. बिल्डटेक प्रा. लि. के खसरा नम्बर 703/2, 705/1, 705/2 व 706, ग्राम–श्रीकिशनपुरा, तहसील–सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 13.07.2015 में लिये गये समस्त निर्णयों की पालना कर दी गई है। अतः पूर्व बैठक दिनांक 12.03.2015 में प्रश्नगत भूखण्ड पर मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है। उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
8.	176.8	07	श्रीमती रश्मि गुप्ता जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर श्री रविन्द्र सिंह के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 304, 305, 306 व 307, नेमी नगर विस्तार, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. स्टिल्ट फ्लोर/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित मानचित्र के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. संशोधित मानचित्र के लिए जाँच शुल्क लिया जावें। 4. श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
9.	176.9	01	श्री राजेन्द्र बरडिया, निदेशक, बरड़िया रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. के भूखण्ड़ संख्या 4, इन्द्रा प्लेस, मालवीय नगर, जयपुर के व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत् व अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठक दिनांक 13.07.2015 में लिये गये निर्णय की पालना हेतु प्रार्थी को अंतिम 3 दिवस का समय दिया जायें। यदि प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में सर्विस फ्लोर पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाया जाता है तो मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) को सर्विस फ्लोर पर सर्विसेज के अतिरिक्त चल रही गतिविधियों को ध्वस्त करने हेतु तत्काल पत्र लिखा जावें।
10.	176.10	02	डॉ. अन्जू सोनी, निदेशक, फॉर सोनी हॉस्पिटल प्रा.लि. के सेक्टर–5, विद्याधर नगर, जयपुर में सोनी हॉस्पिटल (ट्रोमा हॉस्पिटल) के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि बीपीसी (बीपी) की 156वीं बैठक दिनांक 15.04.2014 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ऊँचाई 26.04 मी. को दृष्टिगत रखते हुए ऊँचाई 26.04 मी. के जो भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये है उसके अतिरिक्त और अधिक ऊँचाई का अनुमोदन किया जाना विद्याधर नगर योजना के विशेष भवन विनियमों के मद्देनजर संभव नहीं है। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में लोकायुक्त एवं सी.आई.डी. (सीबी) राजस्थान, जयपुर में जांच विचाराधीन है। अतः प्रार्थी को तदनुसार सूचित कर दिया जावें।
11.	176.11	04	श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती रेणू अग्रवाल के भूखण्ड़ संख्या ए–2, महावीर नगर–ए, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठक दिनांक 13.07.2015 में लिये गये निर्णय "अनुज्ञेय अधिकतम ऊँचाई 15 मी. के संशोधित मानचित्र प्रार्थी से लेकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें" को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
12.	176.12	04	श्री आत्माराम गुप्ता मुख्त्यारआम श्री श्याम गोयल के खसरा नम्बर 82/528, 583/83, 85, 86, 87, 88/2, ग्राम–दुर्गापुरा, टौंक रोड़, तहसील–सांगानेर, जयपुर के	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग

			प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रकरण में पूर्व में सकल निर्मित क्षेत्रफल 28,949.77 वर्गमीटर की पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुकी है संशोधित मानचित्रानुसार कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 31,825.66 वर्गमीटर प्रस्तावित है, अतः अतिरिक्त प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल हेतु पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में आवेदक द्वारा 45.0 मीटर ऊँचाई से अधिक अर्थात् 59.78 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। अतः एम.एन.आई.टी. से स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावें। 4. आवेदक द्वारा 3.19 एफ.ए.आर. तक की बेटरमेन्ट लेवी जमा करवा दी गई है अतः 3.19 से अतिरिक्त एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी लिया जावें। 5. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
13.	176.13	14	श्री आत्माराम गुप्ता, निदेशक, ए.आर.जी. डवलपर्स प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या 1, खसरा नम्बर 2714, 2715, 2751, 2714/6559ए 2715/6570, ग्राम चंदलाई, तहसील चाकसू, टौंक रोड, जयपुर के प्रस्तावित अर्फोडेबल हाउसिंग (EWS /LIG) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् अर्फोडेबल हाउसिंग (EWS/LIG) के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः— 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. मानक = 1.33 + सड़क मार्गाधिकार में समर्पित भूमि तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.07 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
14.	176.14	03	श्री विभिषेक सिंह के खसरा नम्बर 128/212, 132/2, 133, 134/2, ग्राम सुदर्शनपुरा, जयपुर के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः— 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात अधिवास प्रमाण पत्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

<table>
<tr>
<td>15</td>
<td>176.15</td>
<td></td>
<td>नीतिगत निर्णय</td>
<td>भवन विनियम 2010 की धारा में 19.07.17 निम्नानुसार है :–
"राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य मार्गो पर ग्रीन बफर हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम 33 प्रतिशत क्षेत्र सड़क, पार्किंग आदि हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। ग्रीन बफर में विकासकर्ता को सघन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।"
उक्त की पालना के संबंध में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया :–
<table>
<tr><td>1.</td><td>कन्सरवेटर ऑफ फोरेस्ट जविप्रा</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निदेशक (आयोजना), जविप्रा</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संबंधित जोन उपायुक्त, जविप्रा</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सदस्य सचिव, बीपीसी (बीपी), जविप्रा</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
उक्त समिति प्रत्येक सडक के हिसाब से विकसित किये जाने वाले बफर जोन में निम्नांकित बाबत् सुझाव देगी :–
• पौधे का प्रकार।
• पौधे की ऊँचाई।
• विकासकर्ता को दिये जाने वाला समय
वृक्षारोपण हेतु अधिकतम समय 9 माह का दिया जावेगा।</td>
</tr>
</table>

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

3/9/15

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी–2044 **दिनांकः–** 3/9/15

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

3/9/15

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 176वीं बैठक दिनांक 27.08.2015 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। अध्यक्ष,
2. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। सदस्य,
3. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। सदस्य,
4. श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। सदस्य
5. श्री एम.एस. रत्नू, अति. आयुक्त (भूमि) जविप्रा, जयपुर। सदस्य
6. मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी (बीपी), जविप्रा, जयपुर। सदस्य सचिव,

विशेष आमंत्रित :–

7. श्री प्रभात गोस्वामी, ओएसडी (पी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री अर्पित संचेती, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।

3/9/15

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)